न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 20/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण

1. आम्बसिंह पुत्र ठाकरसिंह
2. नरसिंह पुत्र ठाकरसिंह
3. चनणसिंह पुत्र ठाकरसिंह
4. सुवटीदेवी पत्नि ठाकरसिंह
5. आसूसिंह पुत्र पूनमसिंह
6. नरपतसिंह पुत्र पूनमसिंह
7. मानसिंह पुत्र पूनमसिंह
8. देसू पुत्री पूनमसिंह
9. मधू पुत्री पूनमसिंह
10. साकूदेवी पत्नि पूनमसिंह
11. मोमता उर्फ मोहब्बतसिंह पुत्र अचला
12. भीमा उर्फ भीमसिंह पुत्र अचला
13. अरजन उर्फ अर्जुनसिंह पुत्र अचला

जातियान पुरोहित निवासीयान डण्डाली, तहसील सिणधरी

हरचन्द गोदपुत्र बांका जाति पुरोहित निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर फौत के कायम मुकाम :–

1.1. निम्बसिंह पुत्र हरचन्द

1.2. शंकरसिंह पुत्र हरचन्द

1.3. सहदेवसिंह पुत्र हरचन्द

1.4. राणीदेवी पत्नि हरचन्द

1.5. कमलादेवी पुत्री हरचन्द पत्नि छगनसिंह, निवासी मीठा, ग्रा.पं. खेडा, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर

1.6. गीतादेवी पुत्री हरचन्द पत्नि किशनसिंह, निवासी बांकाणा, ग्रा. पं. धारासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

1.7. अमृतकंवर पुत्र हरचन्द पत्नि ओमसिंह, निवासी लंगेरा, तहसील व जिला बाड़मेर

2. जुगता उर्फ जुगतसिंह पुत्र पीरा
3. केहरा उर्फ केशरसिंह पुत्र पीरा
4. उदा उर्फ उदयसिंह पुत्र पीरा

निवासीयान डण्डाली, तहसील सिणधरी, बाड़मेर

5. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा भूका भगतसिंह तहसील सिणधरी, बाड़मेर
6. शाखा प्रबन्धक इण्डियन बैंक इलाहाबाद बैंक शाखा बालोतरा, बाड़मेर
7. श्रीमान् तहसीलदार, सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भवंरलाल सारण,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अमराराम चौधरी विप्रार्थी संख्या 01 के वासिरान की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 02 से 06 एकतरफा।
4. विप्रार्थी संख्या 7 के पैरोकार उपस्थित।

आदेश

दिनांक–07.09..2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि विवादित भूमि तहसील सिणधरी के ग्राम डण्डाली की खेत खसरा संख्या 195, 44, 623 रकबा क्रमशः 2.6454, 4.1502, 4.9996 हैक्टयर ग्राम धतरवालों की ढाणी के खसरा नम्बर 417 रकबा 14.1413 हैक्टयर तथा ग्राम ऐवाड़ी चौसिरा के खसरा नम्बर 36/14 रकबा 39.8352 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जो कि मौजा डण्डाली की वक्त सेटलमेंट व उसके पश्चात प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 2 से 4 के दादा अचला व पीरा पि. थाना की खातेदारी में थी तथा वादग्रस्त आराजी में मौजा ऐवाड़ी चौसिरा की भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 2 से 4 के दादा अचला व पीरा पिसरान थाना सहित विप्रार्थी सं. 1 हरचंद गोद पुत्र (बां) की खातेदारी के रूप में राजस्प रेकर्ड में दर्ज थी। प्रार्थीगण के दादा अचला पुत्र थाना के 6 पुत्र क्रमश– हरचंद, पुनमा, ठाकरा, मोमता, भीमा व अरजन थे। अचला ने अपने बड़े पुत्र हरचंद को सेटलमेंट से पूर्व ही अपने काकाई भाई बांका पुत्र स्वरूपोजी को गोद दे दिया था एवं वक्त सेटलमेंट से पूर्व ही हरचंद के गोद पिता बांका का देहान्त हो गया, इस कारण सेटलमेट के समय मौजा ऐवाड़ी चौसिरा के खसरा नम्बर 14 में पर्चा लगान में अचला, पीरा पि. थाना के तीसरे हिस्से के रूप में हरचंद पुत्र बांका का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। इस. प्रकार विप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में हरचंद एवं उनके वारिसान के नाम हुए गलत एवं अविधिक इन्द्राजों को आधार बनाकर वादग्रस्त आराजी का बेचान कर देते है तो प्रार्थीगण के पैतृक हक, अधिकार विधिक हिस्सा प्रभावित होगा, जिसकी पूर्ति भविष्य में मुद्रा द्वारा संभव नहीं है। विप्रार्थीगण गलत तथ्यों एवं अंकनो का फायदा उठाते हुए प्रार्थीगण के विधिक हक–हिस्से से वंचित करने को लेकर पुरानी सेढ़ा व माढों इत्यादि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा होकर बेचान करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/7 के विरूद्व तहसील सिणधरी के ग्राम डण्डाली की खेत खसरा संख्या 195, 44, 623 रकबा क्रमशः 2.6454, 4.1502, 4.9996 हैक्टयर ग्राम धतरवालों की ढाणी के खसरा नम्बर 417 रकबा 14.1413 हैक्टयर तथा ग्राम ऐवाड़ी चौसिरा के खसरा नम्बर 36/14 रकबा 39.8352 हैक्टयर भूमि के संबंध में विचाराधीन मूल वाद के निस्तारण अवधि तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड व यथास्थिति बनाये रखते एवं आगे बैचान नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी करवाई गई थी। विप्रार्थी संख्या 01 के वारिसान 1/1 से 1/7 की ओर से वकालतनामा करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। शेष विप्रार्थी पक्ष को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जानें के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया।

3.दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये विवादित भूमि तहसील सिणधरी के ग्राम डण्डाली की खेत खसरा संख्या 195, 44, 623 रकबा कमशः 2.6454, 4.1502, 4.9996 हैक्टयर ग्राम धतरवालों की ढाणी के खसरा नम्बर 417 रकबा 14.1413 हैक्टयर तथा ग्राम ऐवाड़ी चौसिरा के खसरा नम्बर 36/14 रकबा 39.8352 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जो कि मौजा डण्डाली की वक्त सेटलमेंट व उसके पश्चात प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 2 से 4 के दादा अचला व पीरा पि. थाना की खातेदारी में थी तथा वादग्रस्त आराजी में मौजा ऐवाड़ी चौसिरा की भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 2 से 4 के दादा अचला व पीरा पिसरान थाना सहित विप्रार्थी सं. 1 हरचंद गोद पुत्र (बांा) की खातेदारी के रूप में राजस्प रेकर्ड में दर्ज थी। प्रार्थीगण के दादा अंचला पुत्र थाना के 6 पुत्र कमश– हरचंद, पुनमा, ठाकरा, मोमता, भीमा व अरजन थे। अचला ने अपने बड़े पुत्र हरचंद को सेटलमेंट से पूर्व ही अपने काकाई भाई बांका पुत्र स्वरूपोजी को गोद दे दिया था एवं वक्त सेटलमेंट से पूर्व ही हरचंद के गोद पिता बांका का देहान्त हो गया, इस कारण सेटलमेट के समय मौजा ऐवाड़ी चौसिरा के खसरा नम्बर 14 में पर्चा लगान में अचला, पीरा पि. थाना के तीसरे हिस्से के रूप में हरचंद पुत्र बांका का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। इस प्रकार विप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में हरचंद एवं उनके वारिसान के नाम हुए गलत एवं अविधिक इन्द्राजों को आधार बनाकर वादग्रस्त आराजी का बेचान कर देते है तो प्रार्थीगण के पैतृक हक, अधिकार विधिक हिस्सा प्रभावित होगा, जिसकी पूर्ति भविष्य में मुद्रा द्वारा संभव नहीं है। विप्रार्थीगण गलत तथ्यों एवं अंकनो का फायदा उठाते हुए प्रार्थीगण के विधिक हक–हिस्से से वंचित करने को लेकर पुरानी सेढ़ा व माढों इत्यादि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा होकर बेचान करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/7 के विरूद्व तहसील सिणधरी के ग्राम डण्डाली की खेत खसरा संख्या 195, 44, 623 रकबा कमशः 2.6454, 4.1502, 4.9996 हैक्टयर ग्राम धतरवालों की ढाणी के खसरा नम्बर 417 रकबा 14.1413 हैक्टयर तथा ग्राम ऐवाड़ी चौसिरा के खसरा नम्बर 36/14 रकबा 39.8352 हैक्टयर भूमि के संबंध में विचाराधीन मूल वाद के निस्तारण अवधि तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखते एवं आगे बैचान नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

4.इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/7 की बहस है कि बांका के गोद पुत्र हरचंद नहीं था जबकि बांका के पुत्र अचला था जिसके गोद पुत्र हरचंद है। हरचंद मूल रूप से थाना के पुत्र अचला का लायन्दा पुत्र था जिसे बांका के पुत्र अचला द्वारा गोद लिया गया। इसलिए सजरा खानदान बांका के आवश्यक है कि विरधा के एक पुत्र थाा ही था जबकि स्वरूपोजी के पिताजी का नाम मेहाजी था। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा सजरा खानदान गलत रूप से प्रस्तुत से किया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 की पैतृक व पुश्तेनी भूमि है, जो गलत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

वाब इस प्रकार है कि मूल रूप से हरचंद अचला पुत्र थाना के जायन्दा पुत्र होने के कारण इनके फौत होने पर जायन्दा पुत्र के रूप में राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया गया है जबकि बांका के पुत्र अचला के गोद पुत्र होने के कारण वक्त सेटलमेट से हरचंद का नाम राजस्व रेकर्ड में चला आ रहा है। सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा रिकार्ड का संधारण सही रूप से किया गया था। हरचंद के गोद पिता का नाम अचला पिता बांका था जबकि हरचंद के मूल पिता का नाम भी अचला पुत्र थाना था। उसी अनुसार वक्त सेंटलमेंट के समय गोद चले जाने के कारण अचला पुत्र बांका की भूमि का मालिक हरचंद हुआ तथा ग्राम ऐवाड़ी चौसिरा की भूमि में हसचंद के गोद पिता की जगह दादा का नाम लिख दिया गया, जो भूलवंश पिता के तौर पर लिखा हुआ है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में किये गये इन्द्राज मौके पर कब्जे व खातेदारी के अनुसार किये गये थे। अप्रार्थीगण की नियम में फर्क आ जाने के कारण तथा संटलमेंट की ग्राम ऐवाड़ी चौसिरा की भूमि में बोद पिता की जगह दादा का नाम लिखा होने का फायदा उठाने की नियत से यह वाद प्रस्तुत किया है। वक्त सेंटलमेंट से ही हरचंद गोद पुत्र अचला का विवादित भूमि में आधा हिस्सा बंट में आता है तथा उसी अनुसार आधे हिस्से पर जवाबकर्ताओं का कब्जा काश्त है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से दावा खारिज किया जाये, एवं प्रार्थीगण को पाबन्द किया जाये कि वे विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

5.हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि तहसील सिणधरी के ग्राम डण्डाली की खेत खसरा संख्या 195, 44, 623 रकबा कमशः 2.6454, 4.1502, 4.9996 हैक्टयर ग्राम धतरवालों की ढाणी के खसरा नम्बर 417 रकबा 14.1413 हैक्टयर तथा ग्राम ऐवाड़ी चौसिरा के खसरा नम्बर 36/14 रकबा 39.8352 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण रिकार्डड सहखातेदारान है। चूंकि इनके हिस्से भी राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में खुले हुए है, परन्तु विवाद का मुख्य कारण मुतवफी हचरंद के जैविक पिता एवं गोद पिता तथा अचला नाम के दो व्यक्ति होने इत्यादि से संबंद्व है जिसका निर्णय मूल वाद अन्तर्गत धारा 88,91,188 रा.का. अधि. में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर किया जा सकेगा। परन्तु दोनों पक्षों के मध्य कब्जा काश्त को लेकर उत्पन्न विवाद को दृष्टिगत रखते हुए दोनो पक्षों को मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिससे कि यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि को लेकर पक्षकारान मौका स्थिति में फेरबदल करने पर उतारू होते है अथवा एक दुसरे के कब्जा काश्त में दखलदान्जी करने की कोशिश की जाती तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त स्थिति को मदद्वेनजर रखते हुए मूलवाद के निर्णय तक दोनो पक्षो को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

सहायक
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:56 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/7 को मूलवाद के निर्णय तक जरियें स्थाई स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि तहसील सिणधरी के ग्राम डण्डाली की खेत खसरा संख्या 195, 44, 623 रकबा कमशः 2.6454, 4.1502, 4.9996 हैक्टयर ग्राम धतरवालों की ढाणी के खसरा नम्बर 417 रकबा 14.1413 हैक्टयर तथा ग्राम ऐवाड़ी चौसिरा के खसरा नम्बर 36/14 रकबा 39.8352 हैक्टयर भूमि के संबध में दोनो पक्ष किसी भी पक्ष के कब्जा काश्त में दखलदान्जी नहीं करे एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

आदेश आज दिनांक 07.09.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:56 IST
Reason: SelfAttested